UGC Approved Journal
Research Link
Since March 2002
An International, Registered & Refereed Monthly Journal : Sociology
Research Link - 169, Vol - XVII (2), April - 2018, Page No. 110-111
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

प्राथमिक शालाओं में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं की स्थिति एवं चुनौतियों का अध्ययन

प्रस्तुत शोधपत्र में प्राथमिक शालाओं में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं की स्थिति एवं चुनौतियों का अध्ययन किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में जनजातीय वर्ग के छात्र-छात्राएँ प्राथमिक शिक्षा तक ही सीमित रहते हैं, जिससे उनका विकास नहीं हो पाता है। जिसे देश के अनेक वर्गों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए शिक्षा को अनिवार्य माना गया है। इन्हीं कारणों एवं चुनौतियों को खोजने का प्रयास प्रस्तुत शोधपत्र में किया गया है।

डॉ. भोलूसिंह मर्सकोले

शिक्षण के अंतर्गत पठन–पाठन की प्रक्रिया में पर्यावरण का महत्व दिन प्रतिदिन बढता जा रहा है और यह अनुभव किया जा रहा है कि वर्तमान में स्कूलों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा अव्यवस्थित और असंगठित है, क्योंकि पाठ्य सामग्री से परिवेश से कोई संबंध नहीं है। प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिकरण के लिए उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। राज्य सरकारों की सहायता से इस योजना का लक्ष्य को तय समय सीमा में प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। देश की प्राथमिकता शिक्षा की तस्वीर को बदलने का वादा करने वाली यह योजना वर्ष 2010 देश के 6 से 14 वर्ष आयु समूह के सभी बच्चों को उपयोगी और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करेगी।

संविधान के अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य विशेष सावधानी के साथ समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजातियों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों के उन्नयन को बढ़ावा देगा और सभी प्रकार के सामाजिक शोषण से उनकी रक्षा करेगा। अनुच्छेद 330,332,338,से 342 तथा संविधान के पॉचवीं और छटवीं अनुसूची अनुच्छेद 46 में दिए गए लक्ष्य हेतु विशेष प्रावधानों के संबंध में कार्य करते हैं। समाज के कमजोर वर्ग के लाभार्थ इन प्रावधानो का पूर्ण उपयोग किए जाने की आवश्यकता है।

कार्यक्रम की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं :

(1) बलिकाओं पर अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्य वर्ग की बालिकाओं पर ध्यान (2) विद्यालय छोड़कर जा चुकी बालिकाओं को वापस लाने हेतु अभियान चलाना। (3) लडकियों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें। (4) बालिकाओं हेतु विशेष (कोचिंग) और तैयारी, कक्षाओं का आयोजन और सीखने के लिए सोहार्द्रपूर्ण वातावरण बनाना। (5) शिक्षा के समान अवसर को बढ़ावा देने हेतु शिक्षक जागरूकता कार्यक्रम चलना। (6) बालिका शिक्षा से सम्बंधित प्रायोगात्मक परियोजनाओं पर विशेष ध्यान।

विशेष प्रावधान :

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के व्यक्तियों के शैक्षणिक सुदृढ़ करने के लिए कई कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं कार्य योजना (पी0ओ0ए0) 1992 के अनुपालन में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए प्राथमिक शिक्षा साक्षरता एवं माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग (बाहरी विडों में खुलने वाली वेबसाईड) की वर्तमान योजनाओं में निम्नलिखित विशेष प्रावधान किए गए हैं :

(1) अब 300 की जनसंख्या के स्थान पर 200 की जनसंख्या हेतु एक किलोमीटर की चलने योग्य दूरी के भीतर प्राथमिक स्कूल खोला जा सकेगा।

(2) उच्च प्राथमिक स्तर पर सभी राज्यों के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा शुल्क की समाप्ति अधिकतर राज्यों के अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रों के लिए माध्यमिक स्तर तक शिक्षा शुल्क समाप्त कर दिया है।

(3) इन वर्गों के छात्रों लिए निःशुल्क पुस्तकों व स्टेशनरी स्कूल बैग इत्यादि के रूप में प्रोत्साहन।

(4) संविधान का 86 वा संशोधन विधेयक 13 दिसम्बर 2002 को अधिसूचित इस विधेयक में 06 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है।

साक्षरता और शिक्षा के मामले में भारत की गिनती दुनिया के पिछड़े देशों में होती है। अगर हम अपने देश की तुलना आसपास के देशों से करे तो चीन, श्रीलंका, म्यांमार, इरान से पीछे है, हालांकि मुफ्त शिक्षा का वादा संविधान में किया गया है। इसे 10 साल में पूरा करने का लक्ष्य भी तय किया गया था, लेकिन यह पूरा नहीं हो सका। इसके लिए सरकार के पास धन नहीं था। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर किसी ठोस योजना की शुरूआत नहीं हो

अतिथि विद्वान (समाजशास्त्र विभाग), शासकीय महाविद्यालय, भीमपुर-बैतूल (मध्यप्रदेश)

सकी। राज्यों के स्तर पर अलग अलग प्रयास किए गए स्वतंत्रता के बाद राज्य कि गरिमा बढ़ाने के लिए कई राज्यों में स्कूलों को इस भाषा का माध्यम चुना। मुख्यतः प्राथमिक और माध्यमिक स्तर मध्य वर्ग का बड़ा हिस्सा अपने बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा दिलाने के पक्ष में था। इसलिए अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों से निकालकर प्राईवेट स्कूलों में दाखिल करवा दिया। ये निजी स्कूल कई तरह के थे, मांटेसरी शाखाएँ चर्चों द्वारा संचालित असंख्य स्कूल लड़के और लड़कियों के लिए अलग–अलग कॉन्वेंट निजी संस्थाओं रामकृष्ण मिशन आदि द्वारा संचालित स्कूल यहाँ तक की सरकारी कर्मचारी भी राज्य और नगर निगम के स्कलों से दूरी बनाने लगे थे, केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना सरकारी राज्य सेवा कर्मियों के बच्चों के लिए और सैनिक स्कूल की स्थापना मिलिट्री अफसरों के बच्चों के लिए हुई है। इस वजह से सरकारी स्कूल गरीबों और अशिक्षितों के बच्चों का सहारा बन गए, जहाँ उन्हें नौकरशाही शिक्षक संघों की दया पर रहना पड़ता था, इसके परिणामस्वरूप इन स्कूलों के लिए स्थापित मानकों पाठ्य पुस्तकों की गुणवत्ता और प्रासंगिता विद्यार्थियों की उपलब्धियों का निरिक्षण के विकास थम गया। आज 90 प्रतिशत से ज्यादा सार्वजनिक खर्च की राशि भारतीय स्कूलों में अध्यापकों के वेतन और प्रशासन पर ही खर्च होती है। फिर भी विश्व में बिना अनुमति अवकाश लेने वाले अध्यापकों की संख्या भारत में सबसे अधिक है। हमारे स्कूलों में अध्यापक आते ही नहीं और चार में से एक सरकारी स्कूल रोज कोई न कोई छुट्टी पर होता है। हमारे यहाँ शिक्षा का जिम्मा राज्यों पर है, इसलिए सभी राज्यों ने इसकी चुनौतियों को अपने ढंग से हल किया। इसके अलग–अलग परिणाम सामने आए। जो राज्य स्कूल में शिक्षा का विकास करने में सफल रहे। उन्होंने गरीब बच्चों की शिक्षा संबंधी चुनौतियों को प्राथमिकता दी। इसकी अगुआई दक्षिण के राज्यों ने की। जिन्होंने सर्व शिक्षा में इतिहास रचा, मैसुर श्रवणकोर, कोचीन, और बड़ौदा जैसी दक्षिण रियासतें तो पहले से गरीबों के लिए शिक्षा पर जोर देती थी और उनके महाराजओं ने सर्व शिक्षा के लिए अनुदान और स्कूलों के लिए खजाने से राशि भी दी थी। श्रावणकोर और कोचीन में प्रत्येक जाति के लिए आधार भूत शिक्षा के लिए आग्रह ने उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी के किडरगार्टन और प्रायमरी स्कूलों के समान पल्लीकुड़म और कुडीपल्लीकुड़म की स्थापना में सहायता की। इसका मतलब है कि स्वतंत्रता के बाद उत्तर के कहीं ज्यादा दक्षिण की सरकारों ने गरीबों के लिए शिक्षा पर जोर दिया। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री के0 कामराज ने मिड–डे–मिल योजना को राज्य के स्कूलों में लागू किया। जिसे सन् 1923 में मद्रास प्रेसीडेसी ने प्रारंभ किया था। इस योजना की जिम्मेदारी स्कूल के बच्चों को एक वक्त का भोजन यूनिफार्म और पाठ्य–पुस्तकें उपलब्ध कराना था। केरल में स्कूलों को विविध सुधारवादी आंदोलनों से प्रेरणा मिली। इसकी अगुआई चर्चों, नायरों और वामपंथी दलों ने की और राज्यों ने स्कलों को सर्वव्यापी बनाने पर जोर दिया।

राज्य अपनी पहली विद्यानसभा में शिक्षा को मुक्त और जरूरी बनाने संबंधी संशोधन लाया और शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने के लिए जल्दी ही उसने जमीनी संगठनों और अभिभावकों को इस मुहिम में अपने साथ कर लिया। हालांकि अन्य भारतीय राज्यों में शिक्षा का एक अलग ही चलन था। आज भारत के छह राज्यों में दो–तिहाई बच्चे स्कूल नहीं जाते– आंध्रप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल। इन राज्यों को जिन समस्याओं ने जकड़ा हुआ है, वह है उनका इतिहास। जैसे बीमारू राज्यों में कई सार्वजनिक समस्याएँ हैं, जो अपने साथ राज्य की शिखा योजना को दूषित कर रही हैं। जमींदारी शैली के इतिहास के कारण इन राज्यों ने निर्दयी जमींदारों और दास जैसे ऋणग्रस्त किसानों की एक विनाशकारी व्यवस्था का निर्माण किया।

इससे इन समुदायों में कड़वाहट और गुस्से की परंपरा कायम हुई जिसने एक जैसी राजनीति को जन्म दिया, जिसे बदले की राजनीति कहते हैं, जो आज तक चली आ रही है। इन क्षेत्रों में ध यान प्रतिशोध पर केन्द्रित रहता है और इन राज्यो में राजनीति से अभिप्राय है कि आँखे मूंद कर अपने बड़ो के नक्शे कदम पर चलो। परिणामस्वरूप वह कहते हैं, यहाँ अभी तक मतदाताओं का शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियों स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में निवेश के प्रति ज्यादा झुकाव नहीं है। इन राज्यों में ये जातिगत मदभेद स्कूलों में पैठ करने लगें विशेष रूप से गाँवों में जहाँ स्कूलों को पिछड़े और उच्च वर्गों में बांट दिया गया है। इस अलगाव ने और भी भयानक रूप तब लिया, जब राज्यों के निवेश भी जाति के अनुसार बंटने लगे। मंत्री अपनी जाति विशेष के हितों के लिए काम करते रहे। इसलिए आप देख सकते हैं कि सरकारी स्कूल एक विशेष समुदाय क्षेत्र में बने जहाँ अन्य जातियां उसका लाभ नहीं उठा सकती। परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के ओबीसी और अनुसूचित जनजातियों के आधे गाँवों में एक भी स्कूल नहीं है।

ये अव्यवस्था में डूबे हुए राज्य जो स्कूली शिक्षा को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, वे इस क्षेत्र पर वार्षिक बजट का सबसे कम हिस्सा खर्च करते हैं। उन्होंने गरीब बच्चों के लाभ को नजर अदांज किया, जो कि कई सफल राज्यों में कारगर रहा। इसलिए परिणाम निराशजनक थे। पर अब जब सरकार हमारी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों पर पहले से कहीं अधिक खर्च कर रही है, तब हम उस राशि को प्रभावशाली ढंग से इस्तेमाल करने के लिए संघर्षरत है। अगर यहाँ प्रगति करनी है, तो हमें राजनीतिक तौर पर प्रश्नों का जवाब देना होगा। उदाहरण के लिए शिक्षकों और प्रशासकों में जिम्मेदारी की समस्या के समाधान के बिना हमारे लिये स्कूलों के संकट का सामना करना नामुमकिन है।

इस योजना का मुख्य जोर बालिकाओं अनुसूचित जाति/जनजाति, कामकाजी बच्चों, शहरी वंचित बच्चों, विकलांगों आदि की शिक्षा के लिए विशेष सहयोग उपलब्ध कराना है। बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए विशेष रणनीतियाँ हैं, तथापि इन समूहों को शामिल करने के लिए समेकित रूप में वास्तविक लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं।

सदर्भ :

(1) झा.टी. (1981) : आदिवासी और गैर–आदिवासी छात्राओं के संरक्षण का अध्ययन शोध, मंच मनोविज्ञान विभाग विश्वविद्यालय, इलाहाबाद। ***(2)*** *यादव, मारकण्डेय सिंह (1994) : आदिवासी समुदाय में स्वास्थय के कुछ पक्ष, रावत पब्लिकेशन एवं नई दिल्ली।* ***(3)*** *यादव, आर.एस. (1995) : क्रिटिकल स्टडी ऑफ फाइनेसिंग ऑफ सेकेण्ड्री एजुकेशन इन हरियाणा, शिक्षा शोध कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र।* ***(4)*** *मेहता, बी.एच. : जनजाति छात्र/छात्राओं की शैक्षणिक उपलब्धि का अध्ययन, कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कंपनी, नई दिल्ली।*

❁ ❁

UGC Approved Journal
Research Link
Since March 2002
An International, Registered & Refereed Monthly Journal : Sociology
Research Link - 169, Vol - XVII (2), April - 2018, Page No. 112-114
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

विस्थापन के प्रभाव का एक समाजवैज्ञानिक अध्ययन (नई राजधानी परियोजना रायपुर-छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में)

प्रस्तुत शोधपत्र विस्थापन के प्रभाव के समाजवैज्ञानिक अध्ययन से सम्बंधित है। अध्ययन मुख्य रुप से छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी परियोजना पर केन्द्रित है। अध्ययन हेतु विस्थापन से प्रभावित एक ग्राम राखी के 47 परिवारों को चयनित किया गया है। अध्ययन में सूचनाओं के संकलन का माध्यम साक्षात्कार अनुसूची तथा असहभागी अवलोकन के माध्यम से किया गया है। अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि विस्थापन का विस्थापित परिवारों पर नकारात्मक प्रभाव अधिक हुआ है। रोजगार की समस्या, अपराध का बढ़ना, पारिवारिक सामंजस्य की समस्या मुख्य रुप से पायी गई है। कुँजी शब्द : विस्थापन, विकास, अपराध, सामाजिक प्रभाव, पुनर्वास।

डॉ.एल.एस.गजपाल* एवं चांदनी मरकाम**

प्रस्तावना :

विकास एक व्यापक अवधारणा है, जिसमें विभिन्न पहलुओं का समावेश है। विकास पूर्णतः न केवल राष्ट्रीय आय में वृध्दि से संबंधित है और न ही सकल राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि से बल्कि उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ साथ सामाजिक आर्थिक प्रगति से भी संबंधित है। व्यापक अर्थों में विकास में सामाजिक आर्थिक बेहतरी के साथ–साथ सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय से भी जुड़े मुद्दे निहित होते हैं। विकास का एक दूसरा पहलू यह भी है कि विकास अपने साथ साथ अनेक समस्याओं को भी जन्म देता है। जैसे – विस्थापन, औद्योगिक प्रदूषण सामाजिक विघटन, संघर्ष इत्यादि।

विकास और विस्थापन का गहरा संबंध है, भारत में विस्थापन और विकास साथ–साथ चलने वाली प्रक्रिया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर आज तक कभी बांध निर्माण के कारण, कभी औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए, तो कभी राजधानी निर्माण के लिए जनसंख्या के एक बड़े भाग का विस्थापन होता रहा है, इस प्रकिया के फलस्वरूप जनसंख्या का एक बड़ा भाग प्रभावित होता रहा है।

अध्ययन का महत्व :

समाजशास्त्रीय संदर्भ मे जब हम विस्थापन के प्रभाव को समझने की कोशिश करते हैं, तो मुख्य रूप से जो बातें उभरकर सामने आती है, उनमें भावनात्मक रूप से अपने मूल निवास से पृथक होना, अन्तः पारिवारिक तथा अन्तः सामुदायिक संबंधों में बिखराव होना, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना, असुरक्षा, बेरोजगारी, बच्चों की शिक्षा तथा स्वास्थ्य कुछ ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं, जिन्हें विस्थापन की देन कह सकते हैं, इस विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि विस्थापन से सबसे ज्यादा प्रभावित महिलाएँ और बच्चे ही होते हैं।

छ.ग. राज्य पुनर्गठन के पश्चात् राज्य में पहली बार प्रशासनिक ज़रूरतों को ध्यान मे रखते हुए पृथक रूप से नई राजधानी क्षेत्र विकसित करने का प्रशासनिक निर्णय लिया गया। इस निर्णय के तहत् जिस स्थान पर नया राजधानी क्षेत्र विस्तृत करने का निर्णय हुआ है, उससे कुल 41 गाँव प्रभावित हुए हैं, जिनमे 27 गाँव को राज्य शासन ने वास्तविक प्रभावित गाँव की सूची मे रखा है। यदि हम समाजशास्त्रीय संदर्भ में विस्थापन के फलस्वरूप इन समुदायों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करेंगे, तो निश्चय ही हमें कुछ नये तथ्य समाजशास्त्रीय संदर्भ में ज्ञात होंगे, जो अध्ययन की प्रासंगिकता को बढ़ाता है।

अध्ययन का उद्देश्य :

(1) विस्थापित परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को ज्ञात करना।

(2) विस्थापन का अध्ययनगत् परिवारों पर प्रभाव को ज्ञात करना।

अध्ययन पध्दति :

प्रस्तुत अध्ययन हेतु अध्ययन क्षेत्र के रूप में नई राजधानी परियोजना, रायपुर का चुनाव किया गया है। यह परियोजना क्षेत्र 41 गाँव के लोगों के जमीन को अधिग्रहित कर तैयार की जा रही है। अध्ययन हेतु पूर्णतः विस्थापित ग्राम राखी के 47 परिवारों का चुनाव दैव निदर्शन की लाटरी प्रणाली के माध्यम से किया गया है। तथ्यों का संकलन साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से किया गया है।

अध्ययन से प्राप्त प्रमुख निष्कर्ष :

सामाजिक आर्थिक पुष्ठभूमि संबंधित अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि बहुसंख्यक उत्तरदाता 41–60 आयु वर्ष के हैं, जिसमें 94 प्रतिशत पुरूष हैं। उत्तरदाताओं में 96 प्रतिशत विवाहित हैं। विस्थापित परिवारों में 43 प्रतिशत निरक्षर हैं। बहुसंख्यक उत्तरदाता कृषि तथा कृषि मजदूरी से जीवकोपार्जन करते थे, लेकिन भूमि अधिग्रहण से

**एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र अध्ययनशाला, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)*
***शोधार्थी, समाजशास्त्र अध्ययनशाला, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)*

ये बेरोजगारी के कगार पर है, यही वजह है कि 61 प्रतिशत उत्तरदाताओं की मासिक आय 3000 रूपये से कम है, जिसे निर्धनता रेखा के नीचे मान सकते हैं। यह तथ्य दर्शाता है कि नई राजधानी परियोजना से विस्थापित परिवारों में निर्धनता की गंभीर समस्या देखी जा सकती है।

विस्थापन का प्रभाव :

बच्चों पर प्रभाव :

ग्राम राखी के 47 परिवारों में 118 बच्चे हैं, जिनमें 88 बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, जिसका मुख्य कारण आगे पढ़ाई की व्यवस्था नहीं होना तथा उन बच्चों का किसी न किसी व्यवसाय में संलग्न होना है।

अपराध/नशे का बढ़ना :

ग्राम राखी में विस्थापन पश्चात् 70 प्रतिशत उत्तरदाताओं में अपराध की प्रवृत्ति में वृध्दि हुई है, इसी प्रकार से 66 प्रतिशत उत्तरदाताओं में नशे करने की लत भी बढ़ी है। लोगों की बेकारी का सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह प्रकट हुआ है कि लोग घर में बेकारी की हालत में नशे तथा अपराध की ओर अग्रसर हुए हैं।

तालिका क्र. 1 से स्पष्ट है कि ग्राम राखी के 47 उत्तरदाताओं में विस्थापन के पश्चात् 70 प्रतिशत में अपराध की प्रवृत्ति बढ़ी है।

रोजगार की समस्या :

तालिका क्र. 1 : अपराध का बढ़ना

		राखी	
क्रं		आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	33	70
2	नही	14	30
	योग	47	100

ग्राम राखी के संपूर्ण ग्राम का विस्थापन किया गया है, जिसमें उनकी कृषि भूमि तथा निवास स्थान दोनों ही शामिल हैं। ग्राम राखी में निवासरत् लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि कार्य करना था। विस्थापन पश्चात् कृषि भूमि के नहीं होने से 81 प्रतिशत उत्तरदाताओं में बेरोजगारी की संख्या में वृध्दि हुई हैं। कृषि भूमि के नहीं होने से एक बडी संख्या में लोग बेरोजगारी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनकी आजीविका का सबसे बड़ा साधन उनसे छीन लिया गया है तथा अब उनके पास करने को कुछ व्यवसाय नहीं है, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति बहुत निम्न हो गयी है।

ग्राम राखी में निवासरत् 47 परिवारों में विस्थापन के पश्चात् 81 प्रतिशत उत्तरदाता बेरोजगार हो गए हैं। शेष 19 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने मुआवजे में प्राप्त हुई राशि से अन्य कृषि भूमि खरीदी है, उसी पर कार्य कर अपना जीवनयापन कर रहे हैं।

तालिका क्र. 2 : बेरोजगारी बढ़ना

		राखी	
क्रं		आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	38	81
2	नही	9	19
	योग	47	100

महिलाओं की स्थिति :

राखी ग्राम के 47 परिवारों में 19 महिलाओं को जीवकोपार्जन में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विस्थापन से पूर्व महिलाएँ भी खेतों में जाकर कृषि का कार्य कर अपने घर के आजीविका में सहयोग करती थी, परंतु कृषि कार्य के नहीं होने से अब महिलाएँ पूर्ण रूप से बेरोजगारी का जीवन व्यतीत कर रही हैं। जिसका प्रभाव उनके आजीविका पर पड़ रहा है। इसके साथ ही उन्हें अनेक प्रकार की समस्याएँ जैसे यातायात के लिए साधन का न मिलना, पानी की समस्या का होना, दैनिक सामग्रियों के मिलने के स्थान की कमी, रोजगार की कमी, पर्याप्त चिकित्सालय का न होना, घर का छोटा होना, नये स्थान में समायोजन करने की परेशानियों से प्रतिदिन जूझना पड़ता है।

तालिका क्र. 3 में महिलाओं को होने वाले समस्याओं के स्वरूप का विश्लेषण किया गया है, जिसमें 47 परिवारों में 19 परिवारों की महिलाओं को अधिक समस्या है।

आवास पर प्रभाव :

तालिका क्र. 3 : समस्याओं का स्वरूप

क्रं	समस्या	राखी	
		आवृत्ति	प्रतिशत
1	यातायात	2	11
2	पानी की समस्या	3	16
3	समायोजन	4	21
4	अस्पताल नहीं है	2	11
5	रोजगार की कमी	4	20
6	दैनिक सामग्री मिलने के स्थान की कमी	2	11
7	घर छोटा होता है	1	5
8	सीपेज की समस्या	1	5
	योग	19	100

ग्राम राखी के संपूर्ण लोगों को उनके निवास स्थान से हटा कर नया राखी में पुर्नस्थापित किया गया है, जिसमें सभी लोगों को शासकीय आवास प्रदान किया गया, परंतु घर का आकार अपेक्षाकृत छोटा होने के कारण लोगों को अपनी दिनचर्या व्यतीत करने में अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, जिन उत्तरदाताओं के घर में पशु (गाय, बकरी, मुर्गी) हैं उनके रहने का स्थान उपलब्ध नहीं है, इसलिए उन्हें घर के बाहर सड़क में ही रखना पड़ रहा है।

परिवार पर प्रभाव :

विस्थापन का बुरा प्रभाव परिवार पर इस तरह से पड़ा है कि आवास स्थान छोटा होने के कारण अब संयुक्त परिवार एकाकी परिवार में विभक्त हो गए हैं तथा विभक्त हुए परिवार को यह आवश्यक नहीं है कि एक ही स्थान पर निवास स्थान उपलब्ध कराया गया हो, इस प्रकार से पारिवारक संबंधों में दूरियाँ उत्पन्न हुई है तथा इसका प्रभाव सामाजिक संबंधों में भी पाया गया है, 47 उत्तरदाताओं में 33 लोगों का यह मानना है कि विस्थापन से सामाजिक संबंध भी प्रभावित हुए हैं।

स्वास्थ्य पर प्रभाव :

विस्थापन तथा पुनर्वास का बहुत अधिक प्रभाव लोगों के स्वास्थ

उनके पर्यावरण पर हुआ है, लोगों को नए स्थान में समायोजन करने में मानसिक तथा शारीरिक अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसका बुरा प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ा है।

उपर्युक्त तालिका क्र. 4, उत्तरदाताओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाता है, जिसमें ग्राम राखी के 68 प्रतिशत उत्तरदाताओं का स्वास्थ्य विस्थापन से पूर्व अच्छा था, वही विस्थापन के पश्चात् 64 प्रतिशत उत्तरदाताओं का स्वास्थ्य बुरा है, क्योंकि उनके वातावरण में परिवर्तन हुआ है।

तालिका क्र. 4 : स्वास्थ्य पर प्रभाव

क्र.		विस्थापन से पूर्व		विस्थापन के पश्चात्	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1	अच्छा	32	68	7	15
2	सामान्य	13	28	10	21
3	बुरा	2	4	30	64
	योग	**47**	**100**	**47**	**100**

संदर्भ :

(1) *Nandine Walicki and Manita Swain (2003) : Pushed Aside publication, Displaced for 'Development' in India, July 2016.*

(2) *Fernandes, W. S.C. Das & Sam Rao (1989) : "Displacement & Rehabilitation : an estimate of extent and prospects.*

(3) *Azam, J.P. & F. Gubret (2006) : "Migrants Remitances and the household africa. A review of the evidace." Journal of Africa Economics vol- 5 AERC supplement 2, pp. 426-462.*

(4) *Crossley, T.F.S.R.G. Jones, and P. Kuhn (1994) : "Gender Differnces in Displacement Cost: Evidence and Implications. "Journal of Human Resources 29, 461-80.*

❁❁

UGC -

Approved - Journal

UGC Journal Details

Name of the Journal :	Research Link
ISSN Number :	09731628
e-ISSN Number :	
Source:	UNIV
Subject:	Accounting;Anthropology;Business and International Management;Economics, Econometrics and Finance(all);Education;Environmental Science(all);Finance;Geography, Planning and Development;Law;Political Science a;Social Sciences(all)
Publisher:	Research Link
Country of Publication:	India
Broad Subject Category:	Arts & Humanities;Multidisciplinary;Social Science

Print

शोध-पत्र भेजने संबंधी नियम

(1) शोध-पत्र **1500-1700 शब्दों से अधिक नहीं** होना चाहिए।

(2) हिन्दी एवं मराठी माध्यम के शोधपत्रों को कृतिदेव 10 (Kruti Dev 010) में टाईप करवाकर 'पेजमेकर 6.5' में भेजें।

(3) पंजाबी माध्यम के शोधपत्रों को अनमोल लिपि (AnmolLipi) या **अमृत बोली** (Amritboli) या **जॉय** (Joy) में टाईप करवाकर 'पेजमेकर 6.5' में भेजें।

(4) अंग्रेजी माध्यम के शोधपत्र टाईम्स न्यू रोमन (Times New Roman), एरियल फोंट (Arial) में टाईप करवाकर 'पेजमेकर 6.5' या 'माइक्रोसाफ्ट वर्ड' में भेजे जा सकते हैं।

(4) शोधपत्र की विधि - **(1)** शीर्षक **(2)** एबस्ट्रेक्ट **(3)** की-वर्ड्स **(5)** प्रस्तावना/प्रवेश **(5)** उद्देश्य **(6)** शोध परिकल्पना **(7)** शोध प्रविधि एवं क्षेत्र **(8)** सांख्यिकीय तकनीक **(9)** विवेचन या विश्लेषण **(10)** सुझाव **(11)** निष्कर्ष एवं **(12)** संदर्भ ग्रंथ सूची।

(6) संदर्भ ग्रंथ सूची इस प्रकार दें -

For Books :

(1) Name of Writer, "Name of Book", Publication, Place of Publication, Year of Publication, Page Number/numbers.

For Journals :

(2) Name of Writer, "Title of Article", Name of Journal, Volume ....., Issue ....., Page Numbers.

Web references :

http://utc.iath.virginia.edu/interpret/exhibits/hill/hill.html

(7) गुजराती माध्यम के शोधपत्र **हरेकृष्णा (Harekrishna), टेराफोंट वरुण (Terafont Varun), टेराफोंट आकाश (Terafont Aaksah)** में टाईप करवाकर 'पेजमेकर 6.5' में भेजे जा सकते हैं।

(8) शोधपत्र की साफ्टकॉपी रिसर्च लिंक के ई-मेल आईडी researchlink@yahoo.co.in पर भेजने के बाद हॉर्डकॉपी, शोधपत्र के मौलिक होने के घोषणा पत्र के साथ हस्ताक्षर कर 'रिसर्च लिंक' के कार्यालय को प्रेषित करें।

❁❁

UGC Approved Journal
Research Link
Since March 2002
An International, Registered & Refereed Monthly Journal : Sociology
Research Link - 169, Vol - XVII (2), April - 2018, Page No. 115-117
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

ग्रामीण समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर औद्योगिकीकरण का प्रभाव
(छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले के रसमड़ा औद्योगिक केन्द्र के विशेष संदर्भ में)

प्रस्तुत शोधपत्र में भारत में ग्रामीण समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर औद्योगिकीकरण के प्रभाव का अध्ययन, छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले के रसमड़ा औद्योगिक केन्द्र के विशेष संदर्भ में किया गया है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य उत्तरदाताओं की सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को ज्ञात करना, उत्तरदाताओं की आर्थिक स्थिति को ज्ञात करना, औद्योगिकीकरण का ग्रामीण समुदाय पर प्रभाव का अध्ययन करना, उद्योगों को लेकर ग्रामीण लोगों तक समस्याओं को ज्ञात करना तथा औद्योगिकीरण का ग्रामीण विकास में योगदान का मूल्यांकन करना है। अध्ययन हेतु दुर्ग जिले के चार गाँव ग्राम रसमड़ा, सिलोदा, गनियारी तथा पीपरछेड़ी गाँव के 280 परिवारों का चुनाव दैव-निदर्शन प्रविधि के माध्यम से किया गया है। तथ्यों के संकलन हेतु साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है।

डॉ.जवाहरलाल तिवारी* एवं दिनेश कुमार**

प्रस्तावना :

भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों मे निवास करती है और जीवन–यापन के लिए कृषि पर आधारित है। भारत की सामाजिक–आर्थिक,सांस्कृतिक समृध्दि उसकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास पर निर्भर है। अतः इसकी पूर्ति हेतु कृषि विकास के साथ औद्योगिक विकास आवश्यक है। भारत में श्रमिक संघ का इतिहास के संबंध में **प्रवीण पटेल** ने ट्रेन्ड रिर्पोट में कुछ अनुभाविक अध्ययनों का उल्लेख किया है। वे कहते हैं कि हाल में जिन औद्योगिक समाजशास्त्रियों ने श्रमिक संघों के अध्ययन किए है, उन्होंने सिलसिले से किसी न किसी स्तर पर इन संघों के इतिहास को रखा है। जो कुछ अध्ययन हमें उपलब्ध है, उनके आधार पर हम श्रमिक संघों के इतिहास को दो भागों में बांट सकते है। पहला काल ब्रिटिश उपनिवेशवाद का है और दूसरा काल आजादी के बाद का ब्रिटिश काल में श्रमिक संघ की व्यवस्थित स्थापना का श्रेय सोराबजी शा पुरजी को दिया जाता है। वे बंगाली थे। सन् 1885 में उन्होने भारतीय औद्योगिक श्रमिकों का पहला संघ बनाया और बाद में सिलसिला चल पड़ा। सन 1881 में कारखाना अधिनियम पारित हुआ। सन् 1884 में **नारायण मेघजी लोखाण्डे** ने श्रमिकों के लिए व्यवस्थित रूप से काम करना प्रारभ किया। उन्होंने मुम्बई के कारखानों के श्रमिकों का एक शिखर सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन के अन्तर्गत औद्योगिक श्रमिकों की विभिन्न अनिवार्य मांगों पर विचार किया गया और कुछ प्रस्ताव पारित किए। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से श्रमिकों के लिए साप्ताहिक छुट्टी और दिन के आधे घण्टे के लिए आराम की छुटटी की मांग की गयी। इसके अतिरिक्त औद्योगिक कार्य करते समय दुर्घटना होने पर श्रमिकों के लिए क्षतिपूर्ति की मांग पर जोर दिया गया।

मुम्बई के इस सम्मेलन के बाद लोखाण्डे ने मुम्बई मिल मजदूर संघ की स्थापना की। उन्होंने दीनबन्धु नाम की एक श्रमिक पत्रिका भी निकाली। श्रमिक संघ के इतिहासकार कहते हैं कि भारतीय श्रमिक संघ का आधुनिक युग प्रथम महायुद्व से प्रारंभ होता है। गाँधी जी ने असहयोग आन्दोलन के दौरान अहमदाबाद कपड़ा मिल मजदूर समिति की स्थापना की। इन्हीं दिनों भारत में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई। इसी अवधि में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1950 के दशक में भारत सरकार ने अपनी उद्योग नीति घोषित की। अब यह तय हो गया कि हमें अपने आपको एक औद्योगिक राष्ट्र बनाना है। इसके परिणामस्वरूप देश में कई उद्योगों की स्थापना हुई और उद्योग की वृद्धि के साथ श्रमिक संघों की वृद्धि भी हुई। आज देश में मुख्य रूप से चार केन्द्रीय श्रमिक संघ कार्य कर रहे हैं। इसमें से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस है। इस श्रमिक संघ का विचार है कि राष्ट्र के उत्पादन, वितरण आदि का समाजीकरण एवं राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। दूसरा मुख्य श्रमिक संघ भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस है। तीसरा मुख्य श्रमिक संघ हिन्दू मजदूर सभा तथा चौथा श्रमिक संघ भारतीय मजदूर संघ है। यह संघ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के अनुसार श्रमिकों के कल्याण की बात करता है।[1]

अध्ययन का समाजशास्त्रीय महत्व :

प्रस्तुत शोध पत्र में ग्रामीण समुदाय की सामाजिक–आर्थिक स्थिति पर औद्योगिकीकरण का प्रभाव विषय पर आधारित है।

**एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र अध्ययनशाला, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)*
***शोधार्थी, समाजशास्त्र अध्ययनशाला, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)*

प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक उद्योगों ने समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जहाँ पर प्रकृति प्रदत्त पदार्थो का परिवर्तन, इस प्रकार से किया जाता है कि उनकी उपयोगिता में वृद्धि हो। उद्योग के अर्थ में उत्पादन एवं उपभोक्ता पदार्थ दोनों का निर्माण करने वाली क्रियाएँ सम्मिलित होती है। निर्माण क्रिया से आशय उन क्रियाओं से है, जिससे समाज की आर्थिक आवश्यकताएँ पूरी होती है, इस प्रकार उद्योग का सम्बंध भारतीय जीवन तथा सम्पूर्ण मानव जीवन के आर्थिक पहलू से है तथा इससे समाज की आवश्यकताएँ पूरी होती है।

पी.सी. एलेक्जेण्डर के शब्दों में, "औद्योगिक बस्ती कारखानों का ऐसा समूह है, जिसका निर्माण उपयुक्त स्थान पर और आर्थिक आधार पर किया गया है और जहाँ पर जल, परिवहन, बैंकिंग, पोस्ट–ऑफिस, विद्युतमाप, सुरक्षा, प्राथमिक चिकित्सा, शैक्षणिक सुविधाएँ, तकनीकी परामर्श और समान सेवाओं की सुविधाएँ उपलब्ध करती है।[2]

शोध परिकल्पना :

(1) औद्योगिकीकरण में दूर स्थित गाँव की अपेक्षा समीप गाँव के लोग उद्योग से अधिक प्रभावित होते हैं।

(2) औद्योगिकीकरण में कार्यरत अशिक्षित सदस्यों की तुलना में शिक्षित सदस्य के परिवार औद्योगिकीकरण से अधिक लाभान्वित होते हैं।

(3) औद्योगिकीकरण स्थापित होने से उद्योग में दूर के गाँव की अपेक्षा निकट के गाँव पर अपराधिक घटना अधिक होती है।

पूर्व में किए गए अध्ययनों का विश्लेषण :

पवन कामरा (1987) ने सर्वेक्षण पद्वति का प्रयोग करते हुए शोधकार्य प्रति नियुक्ति के कारणों का अध्ययन किया। उन्होंने उनके साथ प्रबन्धकीय एवं कार्यात्मक समस्याओं का अध्ययन किया। उन्होंने शोधकार्य हेतु कार्यालय प्रलेख अवलोकन एवं साक्षात्कार विधि का भी प्रयोग किया।[3]

आचार्य और पनवालकर (1989) ने महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्र में श्रम शक्ति सहभागिता का विश्लेषण क्षेत्रीय और लैंगिक आधाराके पर किया है। अध्ययन के अन्तर्गत प्राप्त तथ्यों से यह ज्ञात होता है कि कृषि क्षेत्र में उच्च मजदूरी वाले कार्यो पुरूषों द्वारा किए जाते हैं, जबकि महिलाओं को श्रम मजदूरी करने कार्यो में लगाया जाता है।[4]

भागीरथ एवं वी. रत्ना (जनवरी 2002) ने पर्यावरण एवं उत्तरदायी ग्रामीण समुदायों में कारखानो की प्रदूषण का प्रभाव जब कृषि से संबंधित पर्यावरणीय समस्याओं का अध्ययन किया गया जैसे मृदा व वायु प्रदूषण के कुछ ही शोध पर अध्ययन में कृषि से सम्बंधित समस्याओं का अध्ययन कर पाया। यह प्रपत्र ग्रामीण समुदायों में पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव पर प्रकाश डालता है एवं कृषि उत्पादन, मानवीय स्वास्थ्य पर प्रकाश डालता है। कुछ मुख्य समस्याएँ निम्न हैं :

(1) औद्योगिक विकास और स्थानीय पर्यावरण पर संबंधता का अभाव।

(2) औद्योगिक प्रदूषण के कारण फसलों एवं जानवरों को होने वाली हानियाँ।

(3) ग्रामीण समुदायों में स्वास्थ्य पर प्रभाव।

बेनर्जी,नारायण (2004) ने अपने नारी विकास संघ सम्बंधी अध्ययन में यह पाया कि महिला मजदूरों की सामाजिक स्थिति को ऊँचा उठाने में स्थानीय महिला संघ का महत्वपूर्ण भूमिका होती है।[5]

वेता,दिपाली एवं एस.सी. चौधरी (2014) ग्रामीण विकास में दीर्घ और लघु उद्योगों का योगदान अजमेर संभाग के संदर्भ में किया गया भारत विश्व का दूसरा अधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत का अधिकार जनसंख्या गाँवों में निवास करते हैं। भारत के नागरिकों के समक्ष बेहत्तर आर्थिक राजनीतिक, सुरक्षा, आवास इत्यादि समस्याएँ हैं।

जनसंख्या, भोजन, बेरोजगारी यहाँ की देश का आर्थिक विकास प्रत्यक्ष रूप से औद्योगिक विकास के स्तर पर निर्भर करता है। उद्योगों का विस्तारीकरण प्राकृतिक स्रोतों माल का उत्पादन और सेवा, रोजगार के अवसर और सामान्य जीवन स्तर आर्थिक विकास पर निर्भर है। छोटे स्तर के उद्योग देश के विकास में विशेष भूमिका निभाते हैं।[6]

लाल शोजी व उद्धव प्रसाद (2015) ने भारत में कृषि व्यापारीकरण का विकास अवसर चुनौतियों एवं समाधान में कृषि व्यापारीकरण, कृषि उत्पादन के उत्पादन और प्रक्रिया पर आधारित है। यह शोध पत्र कृषक के कच्चा माल के औद्योगीकरण, उत्पादन एवं प्रक्रियाओं के क्रियाकलापों पर आधारित उद्योगों के विकास, उद्योगों के स्थापना और विकास में सहायता कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कृषि आधारित उद्योग ग्रामीण आय के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वर्तमान में कृषि आधारित उद्योग ग्रामीण रोजगार, भोजन, आवास और रहन–सहन के स्तर को ऊँचा उठाने हेतु आवश्यक है।[7]

प्रस्तुत शोधपत्र, वर्तमान में उपस्थित मजदूरी स्तर या मजदूर से संबंधित समस्याओं से संबंधित है। यह शोधपत्र स्पष्ट करता है कि कैसे वर्तमान में मजदूरी दर, मजदूरी स्तर या मजदूरी संबंधी समस्याये व्याप्त हो रही है। इसके समाधान हेतु मार्ग दिखाते हैं। यह शोधपत्र विशेष रूप से बाल मजदूरी एवं मजदूरों के अधिकार पर प्रकाश डालते हुए मजदूरों की सौदेबाजी (मोल भाव) एवं मजदूरों की संगठन पर प्रकाश डालते हैं।[8]

तालिका क्र0 01 : उत्तरदाता का शैक्षणिक स्तर

क्रमांक	शैक्षणिक स्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
1	अशिक्षित	31	11.0
2	प्राथमिक	48	17.1
3	माध्यमिक	81	28.9
4	हाईस्कूल	34	12.1
5	हायर सेकेण्डरी	56	20.0
6	अन्य	30	10.7
	योग	**280**	**100**

ग्रामीण समुदाय शहरी औद्योगिक समूहों की ओर प्रवास करते हैं। फलस्वरूप ग्रामीण मजदूरों का एक बड़ा समूह बेरोजगार हो जाता है या कम आय में जीवनयापन करते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विभेदीकरण, बेरोजगारी व आय विशेष रूप से मजदूरों के

अलाभकारी स्रोत्र सम्मिलित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक विकास, उपलब्धियों एवं विभेदीकरण पर आधारित है।

तालिका क्र. 2 : उत्तरदाता के स्वयं का मकान का होना

क्रमांक	स्वयं का मकान	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	266	95.0
2	नहीं	14	05.0
	योग	**280**	**100**

तालिका 2 से स्पष्ट होता है कि 266 (95 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का कहना है कि उनके पास स्वयं का मकान है, जबकि 05 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि स्वयं का मकान नहीं है। अर्थात् 5 प्रतिशत उत्तरदाताओं के स्वयं का मकान नहीं होने के कारण वे किराये के मकान में रहते हैं।

तालिका क्र0 3 : औद्योगिकीकरण का ग्रामीण समुदाय प्रभाव या औद्योगिक केन्द्र स्थापित होने से प्रभाव

क्रमांक	प्रभाव होना	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	233	83.22
2	नहीं	47	16.78
	योग	**280**	**100**

तालिका क्रमांक 3 से स्पष्ट होता है कि 233 (83.22) प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि औद्योगिक केन्द्र स्थापित होने से प्रभाव पड़ा है, जबकि 47 (16.78) प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि औद्योगिक केन्द्र स्थापित होने से प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि लोगों का कहना है कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा है और बाहरी मजदूर लाये जाने की बात कही गई है।

निष्कर्ष :

ग्रामीण समुदाय में औद्योगिकीकरण के प्रभाव का सामाजिक–आर्थिक विश्लेषण करने पर यह तथ्य सामने आया कि स्थानीय निवासियों व किसानों की जमीन उद्योग लगाने के लिए उद्योगपतियों द्वारा जिस जमीन को अधिग्रहित किया गया था, उसके एवज में उन्हें उन उद्योगों में रोजगार व आर्थिक मुआवजे के साथ–साथ स्थानीय स्तर पर सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए उद्योगपतियों को उन गाँवों के आसपास मूलभूत सुविधाएँ जैसे – पानी, बिजली, शिक्षा इत्यादि क्षेत्रों का विकास करना था और साथ–ही–साथ उद्योग लगाने से जो आस–पास के क्षेत्र में पेड़ो के कटने से पर्यावरण को अत्यधिक हानि होने लगी, उसकी भरपाई के लिए भी या उस क्षेत्र से प्रदूषण को दूर करने के लिए यथासंभव प्रयास किया जाना था, लेकिन इन सभी समस्याओं की अनदेखी कर उद्योगपतियों द्वारा सिर्फ आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर उस क्षेत्र से मूलभूत सुविधाओं को दूर रखा गया। जिसके फलस्वरूप उन विस्थापित ग्रामीणों व स्थानीय किसानों द्वारा अपनी जायज मांगों के लिए धरना प्रदर्शन, हडताल व उग्र आन्दोलन के माध्यम से समय–समय पर उद्योगपतियों व शासन–प्रशासन के समक्ष अपनी इन मांगों का ध्यान आकर्षित कराते रहे हैं। इस स्थिति को यथासभव शासन–प्रशासन व उद्योगपतियों द्वारा हल नहीं किया गया, तो यह स्थानीय स्तर पर हमारी सामाजिक संरचना प्रभावित हो सकती है।

संदर्भ :

(1) *Gunasekaran.K. C. Malleshwaran (Jul 2015) : Journal of Exclusive Management Science, Vol4, No 7.*

(2) *Singha, V.C. and Puspa (1977-78) : Industri Uniri and Eco System, p.313.*

(3) *Kumar, Pawan K. (1987) : Co-Operative Management Pradices Problem and Prospect, Deep and Deep Publication, New Delhi.*

(4) *Achary, Sariti and Panwalkar V.G. : Labour Force Participation in Rural Maharashtra Temporal Regional and Gender Analysis A.V.jose (ed), op.cit, pp. 203-233.*

(5) *Bahera Bhagirath & Reddy V. Ratna (Jan 2002) : Economics and Political Weekly, Vol. 37, No 3, pp: 257 - 265.*

(6) *Sharma, Shweta ; Choudhary, Deepali sl (aug 2014) : International Journal of Research in Commerce and Management ; vol .1, Nno. VIII, pp.57-68.*

(7) *Bairwa, Shoji Lal ; Singh Udhav Prasad (2015) : Internation Journal of Commerce and Busines Management, Vol 8, No. 1, pp.88-93.*

(8) *Bain Samina Nahid & Babu I Sharath (Jan 2016) : The Indian Journal of Induatrial Relations, vol. 51. No. 3, p.359 .*

❁❁